ादेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
	शस्त्रवाद संख्या 113/2014	

सारण समाहरणालय, छपरा।

न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।

जिला विधि प्रशाखा

धनन्जय कुमार श्रीवास्तव, पिता–स्व0 सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव, सा0–रजिस्ट्री बाजार, थाना–सोनपुर, जिला–सारण

आदेश

ु/12/2014 प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 3555/गो0 23.10.09 के द्वारा आवेदक धनन्जय कुमार श्रीवास्तव, पिता–स्व0 सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव, सा0–रजिस्ट्री बाजार, थाना–सोनपुर, जिला–सारण का एक रिवाल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राप्त पुलिस जाँच के उपरान्त आरम्भ किया गया है।

आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गई एवं अभिलेख में संधारित पुलिस जॉच प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया गया।

आवेदक के द्वारा बताया गया कि वे महेन्द्रा एंड महेन्द्रा कम्पनी में ब्रांच मैनेजर, सोनाली ऑटो पी.भी.टी., छपरा में कार्यरत हैं। ये आयकरदाता हैं एवं अपने व्यवसायी के सिलसिले में काफी रूपया लेकर इन्हें यात्रा करना पड़ता है। इसलिए अपने जानमाल पर खतरे की आशंका को देखते हुए एक रायफल की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर जॉचोपरान्त थानाध्यक्ष, सोनपुर के ज्ञापांक 1228 दिनांक 17.6.09. के द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रेषित किया गया। तत्पश्चात् अंचलाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 607 दिनांक 17.9.09 एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के पत्रांक 93 दिनांक 6.10.09 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन को पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 3555/गो0 दिनाक 23.10.09 एवं पत्रांक 915/गो0 दिनांक 4.3.10 के द्वारा प्रेषित किया गया।

अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन एवं आवेदक को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस प्रतिवेदन की कंडिका (1) एवं (4) में

यह उद्धृत है कि आवेदक महेन्द्रा एंड महेन्द्रा कम्पनी में ब्रांच मैनेजर, सोनाली ऑटो पी.भी.टी., छपरा में कार्यरत हैं। ये आयकरदाता हैं एवं अपने व्यवसायी के सिलसिले में काफी रूपया लेकर इन्हें यात्रा करना पड़ता है। इस प्रकार थानाध्यक्ष, सोनपुर एवं पुलिस अधीक्षक, सारण के प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2–ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3026 दिनांक 13. 4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक धनन्जय कुमार श्रीवास्तव, पिता–स्व0 सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव, सा0–रजिस्ट्री बाजार, थाना–सोनपुर, जिला–सारण को सम्पूर्ण बिहार क्षेत्र में वैधता के साथ एक रिवाल्वर की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 30/न्या० दिनांक 13/01/2015

प्रतिलिपि – पुलिस अधीक्षक, सारण/जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन० आई० सी०, सारण, छपरा को उक्त आदेश को इस जिले के website पर upload करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

13/1/15